

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर
(विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर द्वारा संचालित)

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एन.आई.आई. सर्किल के पास प्रतापनगर, जयपुर

विधवा पेंशन आवेदन पत्र

1. नाम आयु
2. पति/ पिता का नाम
3. पति/ पिता के निधन की दिनांक
4. पति का व्यवसाय (सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ निजी सेवा)
5. यदि प्राइवेट/ राजकीय सेवा में रहते हुये या सेवारत हो तो पेंशन की राशि
6. पूर्ण स्थायी पता मो. नं.
7. असहाय से संबंधित पुत्र/पुत्री

क्र.सं.	नाम	संबंध	आयु

8. पुत्रों का व्यवसाय / कार्य

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय/ कार्य	वार्षिक आय

9. न्यास के अतिरिक्त अन्यत्र से भी क्या कोई सहायता मिल रही है,
यदि हां तो कितनी और कहां से
10. आवेदक का बैंक खाता विवरण :आई.एफ.एस.सी. कोड
- (बैंक का नाम, शाखा)
11. आवेदक के पास आजीविका का साधन यदि कोई हो तो विवरण लिखें-

उपरोक्त नियम व शर्तें पूर्णरूप से पढ़कर समझ ली है तथा मैं इनकी पालना हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रादेशिक / स्थानीय संगठन/ राजसेवक परिषद पदाधिकारी/ ट्रस्टी द्वारा अभिज्ञांसा

मैं पद प्रादेशिक / स्थानीय संगठन/ राजसेवक परिषद
पदाधिकारी / ट्रस्टी.....तहसील जिला राज्य
प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे स्वज्ञान से सत्य है तथा प्रार्थिया
सहायता की अधिकारी है।

दिनांक

हस्ताक्षर

पद

पता

मो. नं.

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है-

1. पहचान पत्र, वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की फोटो प्रति
2. यह सहायता तीन वर्ष के लिये दी जावेगी।
3. सहायता प्राप्त आवेदक के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जांच पश्चात अगर शिकायत सही पायी गयी तो आवेदक की सहायता निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।